जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग सं0– 1/सा0सु0 एन.एस.ए.पी.–37/2009 स.क.– 75

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

एस0 सिद्ध,
प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग, पटना।

जिलाधिकारी एवं समाहर्त्ता
29 MAY 2009
सारण, छपरा

131
06.06.09

महत्वपूर्ण

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी ।

पटना, दिनांक– 19.5.09

विषयः–इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सरकार के पत्रांक–सा0सु0 पेंशन–02/343 दिनांक–04.03.2009 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि केन्द्र सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अधीन इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना माह फरवरी, 2009 लागू की गयी है। इस राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित परिवारों की 40–64 वर्ष की आयु वर्ग की समस्त विधवाओं को 200/– रु0 प्रतिमाह पेंशन भुगतान का प्रावधान है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा सम्तुल्य सूचीकरण में सम्मिलित परिवारों 40–64 वर्ष की आयु वर्ग की समस्त विधवाएँ भी इस पेंशन योजना में आच्छादित की जायेगी। उक्त पत्र द्वारा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के राज्य में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निदेश दिये गये हैं। इस क्रम में योजना में अग्रेतर कार्रवाई हेतु दिशा निदेश निम्नवत जारी किये जाते हैं।

I. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के वर्त्तमान पेंशनधारियों में 40–64 वर्ष की आयुवर्ग के गरीबी रेखा के अधीन सूचीकृत विधवाओं जिन्हें उपरोक्त पत्र द्वारा चिन्हित करने का निदेश दिया गया था, उन्हें माह अप्रील, 2009 के प्रभाव से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में तत्काल हस्तांतरित कर दिया जाय। इस प्रयोजनार्थ सभी पात्र पेंशनधारियों को सूचीबद्ध कर संलग्न प्रपत्र–II 'क' में स्वीकृत्यादेश जारी कर दिये जायें।

II. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अधीन जिला स्तर पर लम्बित आवेदकों में से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिये पात्रता रखने वाले आवेदकों को चिन्हित कर इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अधीन स्वीकृत्यादेश प्रपत्र–II में अविलम्ब निर्गत किये जाय।

III. जिलों में 40–64 वर्ष आयु वर्ग में गरीबी रेखा के अधीन सूचीकृत समस्त विधवाएँ जो अब तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आच्छादित नहीं हो सकी हों, उनकी पहचान कराकर, संलग्न प्रपत्र–I में आवेदन प्रखण्डों के माध्यम से (पात्रता की अर्हताओं के संबंध में आवश्यक सत्यापन सहित) प्राप्त कर उन्हें इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में पेंशन स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जाय। यदि किसी लाभार्थी का आवेदन लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रपत्र में प्राप्त हो और उसमें सभी वांछित प्रविष्टियाँ हो तो उसे भी विहित आवेदन पत्र की मान्यता दी जाएगी। इन मामलों में स्वीकृत्यादेश के लिये संलग्न प्रपत्र–II का उपयोग किया जायगा।

IV. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में पेंशन आवेदनों को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रखण्ड कार्यालय में एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय के यहाँ समर्पित/दर्ज किये जायेंगे। पेंशन आवेदनों का जाँच–सत्यापन एवं अनुशंसा के साथ अग्रसारण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी करेंगे। पात्र लाभार्थियों की पहचान, उनके आवेदनों का संकलन, सत्यापन एवं अग्रसारण की कार्यकारी व्यवस्था संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी अपने स्तर से निर्गत कर सकते हैं।

V. पेंशन की स्वीकृति प्राधिकारी जिला पदाधिकारी होंगे जिनके अनुमोदन से सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा।

VI. ऐसे स्वीकृत्यादेशों की प्रतियाँ महालेखाकार, बिहार, पेंशनधारी, संबंधित डाकघर, जिलास्तरीय डाक अधीक्षक तथा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को संप्रेषित की जाय। स्वीकृत्यादेशों के लिये प्रपत्र–II/II 'क' प्रयुक्त होंगे।

VII. इस राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में पूर्ण आच्छादन की प्रतिबद्धता है, अतएव इसमें किसी पंचायत/प्रखण्ड इकाई के स्तर पर कोई संख्यात्मक अधिसीमा नहीं है तथा पात्रता रखने वाले समस्त विधवाओं को पेंशन स्वीकृत किया जाना है। इसमें पेंशन की स्वीकृति के लिये केवल निम्न तीन बिन्दुओं का सत्यापन/सम्पुष्टि अपेक्षित है :–

(क) विधवा

(ख) गरीबी रेखा के अधीन सम्बन्धित परिवार का सूचीकरण – बी.पी.एल. सूची में क्रमांक या शहरी क्षेत्र के लिये समतुल्य सूची में क्रमांक

(ग) आयु 40–64 वर्ष

इस योजना के अधीन पेंशन की स्वीकृति में उपरोक्त सत्यापन एवं अनुशंसा के अलावे ग्राम सभा/पंचायत समिति अथवा अन्य किसी प्राधिकार के अनुशंसा की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

VIII. केन्द्र सरकार के शर्त के अनुपालन हेतु इस योजना के सभी स्वीकृत पेंशनधारियों की विवरणी को जिला–वार राज्य के वेबसाइट पर रखा जाना है। इस प्रयोजनार्थ संलग्न प्रपत्र–III में स्वीकृत पेंशनधारियों की सूची तैयार कर उसकी सी0डी0 सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को प्रत्येक माह पर उपलब्ध करायी जायेगी। इस क्रम में उपरोक्त बिन्दु–I से संबंधित विवरणी सूची की सी0डी0 30 मई, 2009 तक तथा बिन्दु–II से संबंधित कार्य पूरा होने पर अद्यतन सूची 15 जून, 2009 तक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को उपलब्ध करा दी जाय ताकि इनके पेंशन के राशि को निदेशालय स्तर से भुगतान करने के पूर्व केन्द्र सरकार के शर्त का अनुपालन हो सके। इन पेंशनधारियों की विवरणी केन्द्र सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर NIC द्वारा तैयार फॉरमेट जो मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है, में भी कम्प्यूटरीकृत कराकर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय। ज्ञातव्य हो कि इन शर्त्तों का अनुपालन होने तक राज्य में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन का भुगतान लम्बित रहेगा।

IX. 18–39 वर्ष आयु वर्ग के विधवाओं के लिये तथा 40–64 वर्ष की विधवाएँ जो बी.पी.एल. श्रेणी में सूचीकृत नहीं हैं परन्तु जिनकी वार्षिक आय 30,000/– से कम हैं, उनके लिये लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पूर्ववत् लागू रहेंगी।

कृपया उपरोक्त निदेशों का अनुपालन तत्परतापूर्वक कालबद्ध रूप से कराया जाय ताकि इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के पात्र वर्तमान पेंशनधारियों का पेंशन भुगतान बाधित न हो तथा वर्तमान अनाच्छादित समस्त विधवाओं को योजना के लाभ से वंचित न रक्खा जाय। अतएव इसमें जिला प्राधिकार के द्वारा विशेष अभियान चलाकर कार्य प्रगति सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न :– प्रपत्र – I, II, II 'क', III

विश्वासभाजन

S. Sidhoo 11/5/09

(एस0 सिद्धू)

प्रधान सचिव

समाज कल्याण विभाग, बिहार ।

ज्ञापांक 349 / सा० सु० को० छपरा दिनांक 17-6-09

प्रतिलिपि :- ~~सभी~~ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा / मढ़ौरा / सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारण जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि योग्य आवेदकों का आवेदन पत्र प्रपत्र - I में एवं लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों अन्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की अर्हता रखने वाले पेंशनधारियों की सूची प्रपत्र - II क में शीघ्र भेजने की कृपा की जाए।

16/6/09

सहायक निदेशक
जि० सा० सु० कोषांग,
छपरा
15-06-09

प्रपत्र–I

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

पेंशन हेतु आवेदन का प्रपत्र

(दो प्रतियों में भरा जायेगा)

1. आवेदक का नाम :– ....

2. पिता/पति का नाम :– ....

3. पूरा पता :– ग्राम/मुहल्ला .... पंचायत/नगर वार्ड ....
डाकघर .... प्रखण्ड/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत......................
थाना .... अनुमण्डल .... जिला ....

4. कोटि :– अनु0जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अतिपिछड़ी जाति/सामान्य ....

5. आयु (आवेदन पत्र देने के दिन) :–
(आयु का यदि प्रमाण उपलब्ध हो, तो उसकी प्रति संलग्न करें। यदि उपलब्ध नहीं है तो पारिवारिक सूची/निर्वाचक सूची में अभिलिखित उम्र भी स्वीकार होगा या ग्राम सभा/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित आयु भी मान्य होगा)।

6. आवेदक का पहचान चिन्ह ....

7. बी0पी0एल0 का क्रमांक .... प्राप्तांक ....

8. मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि–
   - (i) मेरा परिवार गरीबी रेखा की सर्वेक्षित सूची में सूचीकृत है।
   - (ii) मैं विधवा हूँ।
   - (iii) मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन योजना अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।
   - (iv) मैं .... जिला .... बिहार राज्य की निवासी/अधिवासी हूँ। जहाँ मैं आवदेन देने की तिथि से ठीक तीन वर्ष पहले से रह रही हूँ।
   - (v) मुझे पंचायत अधीन .... डाकघर से पेंशन भुगतान किया जाय।

मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त विवरणी सही है। यदि कोई ब्यौरा गलत/झूठा पाया जाय तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान :–

तिथि :–

आवेदक के पहचान कर्त्ता का हस्ताक्षर

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा

मैंने आवेदन में अंकित विवरण की जाँच की है और सही पाया है। पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। इन्हें डाकघर .... से पेंशन भुगतान किया जाना सुविधाजनक होगा।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी
....

DR. Proforma/I